संख्याः 2 (2) /XXIV(6)/2010

प्रेषक

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद,
ए–46 शांति पथ, तिलक नगर,
जयपुर।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनांक 11 जनवरी, 2010

विषयः– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में के राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक–F.NRC/NCTE/F-7/UK-190/2008/6825 दिनांक 17 जनवरी, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पथूली शिक्षण सोसायटी, सिगुनी, कुआं ग्रामी, तहसील बड़कोट, उत्तरकाशी की संस्था को आगामी शैक्षिक सत्र 2009–2010 से स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु शासन द्वारा अनापत्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) संस्था द्वारा शासन, विश्वविद्यालय तथा महामहिम कुलाधिपति द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन किया जाना होगा।

(2) संस्था द्वारा उक्त पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) संस्था की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा किसी अधिनियम में ही न उल्लिखित हो।

(4) संस्था द्वारा छात्रों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा तथा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व मानकों के अनुसार अर्ह फैकल्टी ही नियुक्ति की जानी होगी।

(5) संस्था के पास भूमि–भवन, कार्यशील पूंजी तथा अन्य निर्धारित मानकों के पूर्ण होने पर ही अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, मानकों में शिथिलीकरण का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

(6) बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित भूमि आवश्यक होगी।

(7) संस्था के पास निजी भूमि पर भवन का निर्माण करने के लिए अपने ही संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। छात्रों से शुल्क लेकर भवन तैयार करने की योजना ठीक नहीं है।

(8) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व सभी आधारभूत सुविधायें–कम्प्यूटर रूम, पूर्णतया सुसज्जित पुस्तकालय, क्रीडा स्थल तथा क्रीडा सम्बन्धी सुविधाएं होनी चाहिए यदि सभी मानक पूर्ण नहीं है तो अनापत्ति एन०सी०टी०ई० के अनुमोदन के लिए मान्य नहीं होगी। यदि अनापत्ति के आधार पर एन०सी०टी०ई० अनुमोदन भी दिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा तभी सम्बद्धता के लिए संस्तुति की जायेगी जब सारे मानक पूरे हो।

(9) बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का बिना शर्त अनुमोदन तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता एवं शासन की व्यवस्थानुसार शुल्क के निर्धारण के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) किसी भी संस्था को बी०एड० पाठ्यक्रम इण्टरमीडिएट स्तर तक कालेज मे चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(11) संस्थान में अतिरिक्त सीट वृद्धि के दृष्टिगत प्रशिक्षुओं के पठन–पाठन हेतु कक्षों की पर्याप्त व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(12) यह अनापत्ति सम्बन्धित सोसाइटी/ट्रस्ट के रजिस्टर्ड होने पर ही मान्य होगी।

कृपया अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधिका झा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 2(2)(1)/XXIV(6)/2010/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी०एस० शाह)
उप सचिव